



राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक प.3(7)आरपीजी/2019


जयपुर, दिनांक 10/03/2021

आदेश

निदेशक, लोक सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर, टोंक, अलवर, जेसलमेर, अजमेर, बांरा एवं झालावाड़ जिलों में पदस्थापित सहायक निदेशक, कार्यालय के उपयोग हेतु वित्त विभाग के परिपत्र संख्या प.2(4)FD/SPFC/2017 दिनांक 19.07.2018 एवं दिनांक 28.02.2019 में अंकित शर्तों/दिशा-निर्देशों/RTPP Act/Rules/निर्धारित प्रक्रिया की पूर्णपालना सुनिश्चित करते हुए 12 जिला स्तरीय किराये का वाहन 28500/- प्रतिमाह 2000 कि.मी. की श्रेणी में दिनांक 01.03.2021 से 28.02.2022 अथवा पद भरे रहने, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए हायर करने की सहमति प्रदान की जाती है।


यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति आई.डी.क्रमांक 102101008 दिनांक 04.03.2021 के अनुसरण में जारी की जाती है।


आज्ञा से


09/03
(विजय वरन्दानी)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
3. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर, टोंक, अलवर, जेसलमेर, अजमेर, बांरा एवं झालावाड़
4. निदेशक, लोक सेवाएं, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर, टोंक, अलवर, जेसलमेर, अजमेर, बांरा एवं झालावाड़
6. रक्षित पत्रावली।

जारी

10/03/2021


उप शासन सचिव
